[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 10th June, 2011]

HARYANA GOVERNMENT

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 10th June, 2011

No. 458A-SW(4)-2011.—In partial modification of the Social Justice and Empowerment Department Notification No. 1988-SW(4) /2006, dated 20th September, 2006, the Governor of Haryana is pleased to substitute Para No. 3 of the "Old Age Samman Allowance Scheme 2005" with the following :

"**3.** Eligibility Criteria—

A person is eligible for the grant of Old Age Samman Allowance, if,

(i) the person is of age 60 years or more; and

(ii) the person is domiciled and resident of Haryana State; and

(iii) his/her income from all sources together with that of his/her spouse does not exceed ` 50,000/- per annum.

Exclusion:

Notwithstanding the above, in case the person is receiving pension from any Government or Local/Statutory Body or any organization substantially financed by any Government or Local/Statutory Body will not be eligible to receive allowance under the Scheme."

This issues with the approval of the Council of Ministers, Haryana, as conveyed *vide* U.O. No. 9/53/2011-2 Cabinet, dated 26th May, 2011.

DHANPAT SINGH,
Financial Commissioner & Principal Secretary to Government,
Haryana, Social Justice & Empowerment Department.

48750—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 26th April, 2011]

HARYANA GOVERNMENT

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 19th April, 2011

No. 203-SW(4)-2011.—The Governor of Haryana is pleased to clarify the eligibility for the grant of Pension/Allowance under various Social Security Schemes of the Department as under:

1. A person can avail the benefit of at most one pension/allowance, even if eligible under more than one Social Security Schemes listed below :

   (i) Old Age Samman Allowance Scheme

   (ii) The Haryana Pension to Widows and Destitute Women Scheme

   (iii) The Haryana Handicapped Persons Pension Scheme

   (iv) Dwarf Allowance Scheme

   (v) Eunuch Allowance Scheme

   (vi) Financial Assistance to Kashmiri Migrant Families

2. Similarly, the eligible guardian can avail of at most one benefit under any one of the following schemes

   (i) Ladli Social Security Allowance Scheme

   (ii) Financial Assistance to Destitute Children Scheme

   (iii) Financial Assistance to the Non-School Going Disabled Children Scheme

3. "Pension" wherever occurring in any Government notification concerning Social Security Benefits means and includes, income received or accrued from accumulated earnings, including schemes.

   * Provident Funds, or

   * Annuities from any source including Commercial Banks, Financial Institutions or Insurance"

DHANPAT SINGH,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana,
Social Justice and Empower Department.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 10th June, 2011]

HARYANA GOVERNMENT

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 10th June, 2011

No. 459-SW(4)-2011.—In partial modification of the following eight Notifications of Haryana Government, Social Justice & Empowerment Department, the Governor of Haryana is pleased to substitute the Para relating to "Mode of Payment" as indicated against each Notification with the new provision appearing after the Table below:

Sr. No.	Notification No.	Date of Notification	Name of Scheme/ Rules	Para No. to be substituted
1.	1988-SW(4)-2006	20th September, 2006	Old Age Allowance Scheme 2005	11
2.	1921-SW(3)-92	24th August, 1992	Haryana Pension to Widows and Destitute Women Scheme Rules, 1988-89.	11
3.	1921-SW(3)-92	24th August, 1992	Haryana Handicapped Persons Pension Scheme Rules, 1988.	11
4.	786-SW(1)-84	6th February, 1984	Haryana Dependant Children (Grant of Financial Assistance) to Destitute Children Rules, 1978.	12
5.	1803-SW(4)-2006	18th September, 2006	Ladli Social Security Allowance Scheme.	10
6.	1479-SW(4)-2007	19th October, 2007	Haryana Allowance to Eunuchs Scheme Rules, 2007.	8
7.	1322/SW(4)-2007	31st August, 2007	Haryana Allowance to Dwarf Scheme Rules, 2007.	8
8.	2351-SW(4)-2008	30th January, 2009	Financial Assistance to the Non-School Going Disabled Children Scheme.	7

"Mode of Payment :

(a) The Financial Assistance will be distributed under the Electronic Benefits Transfer (EBT) Scheme through the designated bank using biometrics authenticated smart cards.

(b) The Bank will not permit the beneficiary to withdraw the benefits from outside the district in which he is registered.

(c) In case there is no withdrawal from the bank account for a continuous period of 60 days, such bank account will be rendered "inoperative" for the purpose of this Scheme by the Bank with no further credit of benefits under this Scheme into it. Such "inoperative" bank accounts will be reported by the Bank to the Department. In case the beneficiary applies for reoperationalization of the bank account within the next 90 days with justifiable reason, the bank account may be re-operationalized with the permission of the Director. If not, the bank account will be rendered "dead" for the purpose of this Scheme and the benefits credited into the bank account after the last withdrawal would be remitted back to the Department with accrued interest by the Bank.

(d) If a person is detected of having more than one bank account under the EBT Scheme, all his bank accounts will be terminated. He would become ineligible to receive benefits under any Social Security Scheme of the State in future.

(e) Any benefits received under the Scheme by supressing true information or making wrong claim would be recovered as arrears of land revenue with 12% interest per annum."

This issues with the approval of the Council of Ministers, Haryana, as conveyed *vide* U.O. No. 9/52/2011-2 Cabinet, dated 26th May, 2011.

DHANPAT SINGH,

Financial Commissioner & Principal Secretary to Government,
Haryana, Social Justice & Empowerment Department.

48750—C.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 21-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 22, 2018 (JYAISTHA 1, 1940 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

HARYANA GOVERNMENT

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 8th May, 2018

No.656-SW(4)-2018.— The Governor of Haryana is pleased to notify the criteria for "recovery of amount of pension/allowances wrongly drawn by the pensioners/beneficiaries" as under :-

(i) In case Pension/Allowance/Financial Assistance of various schemes mentioned from Sr. No. 1 to 9 at Point No. v of this Notification is sanctioned on the basis of wrong information given by the applicant, the amount given would be recovered in respect of the period during which the person was found to be ineligible by Social Justice & Empowerment Department itself or as arrears of land revenue without interest for cases identified up to 31.03.2018.

(ii) If such an ineligible beneficiary submits his/her fresh application for sanction of allowance at a later stage and is found eligible by the Department then full recovery will be made in respect of the period during which the person was ineligible i.e. prior to sanction as described in point (i) above. However, in case he/she is not in position to deposit recovery amount then the department shall recover the amount in monthly installments which would be equal to 50% of the amount of monthly payment of pension/allowances.

(iii) All such recoveries will be made without levying any interest.

(iv) In case of forgery or tampered documents, the beneficiary will be liable for prosecution.

(v) The above provision is a one-time measure for ineligible beneficiaries identified up to 31.03.2018 in respect of the following schemes:-

1. Old Age Samman Allowance
2. Haryana Pension to Widows and Destitute Women
3. Haryana Divyang Pension
4. Ladli Social Security Allowance
5. Financial Assistance to Destitute Children
6. Haryana Allowance to Dwarfs
7. Haryana Allowance to Eunuchs
8. Financial Assistance to Non-school going Disabled Children
9. Financial Assistance to Displaced Families of Kashmiri Migrants

<u>Note:</u> This is only a one time measure for ineligible beneficiaries identified up to 31.03.2018. It is clarified that in respect of cases identified on or after 01.04.2018, the rules/instructions as mentioned in various notifications will be applicable.

Dated: 08-05-2018

NEERJA SEKHAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Social Justice & Empowerment Department.

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

सेवा में

सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी,
हरियाणा राज्य में।

यादि कमांक : 1262–एस.डब्ल्यू.(4)–2018,
दिनांक : 24.08.2018

विषयः वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना एवं लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत आयु के दस्तावेज लेने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सम्बन्ध में स्थाई निवासी बारे दस्तावेज लेने एवं नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रकिया का पालन करने बारे।

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र कमांक 615–स.क.(4)–2016, दिनांक 16.06.2016 एवं 879–स.क.(4)–2017, दिनांक 06.09.2017 के द्वारा दिये गये आदेशों के स्थान पर निम्न दस्तावेजों का विवरण :

1. बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना के तहत आयु के सम्बन्ध में लिए जाने वाले दस्तावेज एवं मैडिकल बोर्ड बारे ।

क) स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र/दिनांक 16.06.2016 से पूर्व जारी किया गया ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/वर्ष 2005 या इससे पूर्व जारी किया गया स्वयं का फोटोयुक्त पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/फोटोयुक्त मतदाता सूचि में से आवेदक अपनी आयु के आंकलन हेतू कोई एक दस्तावेज उपलब्ध करवा सकता है। यदि आवेदक के पास उक्त दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है या फिर आवेदक की आयु में संदेह है तो संतान की 40 वर्ष की आयु का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य है। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र अथवा स्कूल द्वारा साधारण कागज पर दर्ज की गई जन्मतिथि को मान्य नहीं माना जाये।

यदि प्रार्थी द्वारा आयु के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज़ में दर्शाई गई आयु या दस्तावेज़ के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी को किसी स्तर पर भी संदेह होता है तो वह प्रार्थी से उसकी आयु के सम्बन्ध में निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज़ भी मांग सकता है।

यदि आवेदक द्वारा आयु के दस्तावेज के सम्बन्ध में मतदाता पहचान पत्र/फोटोयुक्त मतदाता सूचि दी जाती हैं तो उसका मिलान ऑनलाईन डाटा से भी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा और जिस भी दस्तावेज में कम आयु होगी, वह मान्य होगी।

अविवाहित/सन्तानहीन आवेदक, यदि उसके पास अपनी जन्मतिथि से सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति मे सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रार्थी की आयु के आंकलन हेतू मामला जिला के सिविल अस्पताल में गठित दो डाक्टरों की टीम को भिजवाया जायेगा।

इसके अतिरिक्त बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना के अन्य नये आवेदकों के सम्बन्ध में जिला स्तर पर सिविल अस्पताल में दो चिकित्सा अधिकारियों का एक मैडिकल बोर्ड का गठन नये आवेदकों की आयु के आंकलन हेतु किया जाये। यह मैडिकल बोर्ड मास में एक बार इस कार्य हेतु बैठेगा। मैडिकल बोर्ड से निम्न दो मामलों में स्पष्ट रिपोर्ट उपायुक्त के माध्यम से प्राप्त की जाये।

i. जब प्रार्थी द्वारा कारण सहित प्रार्थना पत्र के द्वारा यह दावा किया जाता है कि सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में उसकी आयु गलत दर्ज की हुई है।

ii. जब जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रार्थी की आयु, निर्धारित दस्तावेज में अधिक दर्ज की हुई प्रतीत होती है या फिर कम दर्ज की हुई प्रतीत होती है।

मैडिकल बोर्ड द्वारा आयु के आंकलन की स्पष्ट रिपोर्ट विभाग द्वारा जारी प्रोफार्मा में उपायुक्त को भिजवाई जायेगी।

2 लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत लिए जाने वाले आयु के दस्तावेजों का विवरण –

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के सम्बन्ध में आयु के दस्तावेज के तौर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र/ स्कूल प्रमाण पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/ पासपोर्ट/फोटोयुक्त पैन कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/फोटोयुक्त मतदाता सूचि में से आवेदक अपनी आयु के आंकलन हेतू कोई एक दस्तावेज उपलब्ध करवा सकता है। उक्त आयु के दस्तावेज हिदायतें जारी करने से पूर्व की अवधि के होने अनिवार्य है। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र अथवा किसी साधारण कागज पर दर्ज की गई जन्मतिथि को मान्य नहीं माना जायेगा।

सरकार के पत्र क्रमांक 75–स.क.(4)–2012, दिनांक 25.01.2012 एवं पत्र क्रमांक 22210–234 दिनांक 16.06.2016 द्वारा दिये गये आदेशों के स्थान पर निम्न दस्तावेज लेना सुनिश्चित करें।

3 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए स्थाई निवासी होने के सम्बन्ध में लिए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

सभी जिलों में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशन/भत्ता बनवाने के लिए आवेदक का 15 वर्ष से अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य का निवासी होने का दस्तावेज जैसाकि राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूचि, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, बिजली/पानी के बिल, मकान अथवा जमीन के कागजात/एल0आई0सी0 पालिसी/मकान किराये के सम्बन्ध में पंजीकृत डीड या स्थाई निवासी प्रमाण पत्र इत्यादि में से आवेदक से उसके domicile साबित करने के लिए कोई भी एक दस्तावेज लिया जाना है।

विधवा एवं एफ0ए0डी0सी0 योजना के अन्तर्गत विधवा महिला, जोकि अपने विवाह से पहले किसी अन्य राज्य/शहर से हो सकती है तो उस केस में सम्बन्धित महिला से

उसके पति के हरियाणा राज्य में 15 वर्ष से अधिक की अवधि के निवासी/domicile होने बारे उपरोक्त दस्तावेज़ में से कोई एक दस्तावेज़ लिया जाना उचित होगा।)

नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रकिया का पालन करने बारेः--

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सम्बन्ध में दिक्कत आती है कि विवाह से पूर्व महिला का नाम कुछ और होता है और विवाह उपरान्त उसके ससुराल वालों द्वारा नाम बदलवा कर उसके सभी दस्तावेज़ बनवा लिये जाते हैं अथवा किसी पुरुष/महिला का जन्मतिथि प्रमाण पत्र में नाम कुछ और होता है और बाद में नाम में परिवर्तन कर लिया जाता है और किसी अन्य नाम से शेष दस्तावेज़ तैयार करवा लिये जाते हैं व वोटर कार्ड में पतें में संशोधन करवा लिया जाता है कि ऐसी स्थिति में निम्न प्रकिया का पालन करना सुनिश्चित करें।

I. प्रार्थी को शपथ पत्र, जिला कोर्ट के मैजिस्टेट या नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाया जायेगा तथा शपथ पत्र में वर्तमान नाम तथा जो नया नाम हैं उसका विवरण, नाम बदलवाने के कारणो सहित दिया जायेगा। शपथ पत्र, नान ज्यूडीशियल स्टैम्प पेपर पर जोकि कम से कम वैल्यू का होगा, उस पर दिया जायेगा। उसके उपरान्त नाम बदलवाने बारे दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना होगा। जिनमें एक समाचार पत्र स्थानीय भाषा में तथा दूसरा अग्रेजी का होगा।

प्रार्थी को अपना नाम राज्य के Official गजट में छपवाना होगा जिसके लिए सरकारी प्रिटिंग प्रैस से सर्म्पक करते हुए, आवदेन फार्म भरके निश्चित फीस जमा करवानी होगी, उसके उपरान्त प्रार्थी का नाम बदलवाने बारे अधिसूचना में नाम राज्य की Official गजट में छपने उपरान्त प्रार्थी को प्रीटिंग प्रैस द्वारा उसके द्वारा दिये गये पते पर कापी भिजवाई जायेगी।

II. समाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत यदि किसी प्रार्थी द्वारा पते में संशोधन, वोटरकार्ड में करवाया जाता है, तो उस स्थिति में वोटरकार्ड कम से कम तीन वर्ष पूर्व का बना होना चाहिए जब प्रार्थी द्वारा पेंशन के लिए आवेदन किया जाता है।

Raghubir Singh

अधीक्षक (स.क.),
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

पृ. कमांक : 1262--एस.डब्ल्यू.(4)--2018 दिनांक : 24.08.2018

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
2. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।

Raghubir Singh

अधीक्षक(स.क.),
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

From

The Principal Secretary, Govt. of Haryana
Social Justice and Empowerment Department,
Chandigarh.

To

All the District Social Welfare Officers,
Haryana.

Memo No. : 979-SW(4)-2019
Dated : 25-07-2019

Subject:- Submission of documents for determination of age.

*****

Kindly refer on the subject cited above.

2. In continuation of earlier letter No. 1262-SW(4)-2018 dated 24.08.2018, it has been decided by the Government that regarding the Old Age Samman Allowance, the following documents with reference to age will be also admissible in addition to the documents listed in letter dated 24.08.2018;

> "School Certificate of either 5th class or 8th class or 10th class as well as school leaving certificate issued by the Head Teacher of Primary School, Head Master/Head Mistress of Middle/High School alongwith copy of school record on basis of which the certificate has been issued. The copy of such school record shall also be attached with the certificate and attested by Head Teacher/Head Master/Head Mistress."

Superintendent, (SW)
for Principal Secretary to Government, Haryana,
Social Justice & Empowerment Department

Endst. No.979-SW(4)-2019 dated:- 25-07-2019

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Director, Social Justice and Empowerment Department, Haryana, Chandigarh
2. All Deputy Commissioners in the State of Haryana.

Superintendent, (SW)
for Principal Secretary to Government, Haryana
Social Justice & Empowerment Department

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
चण्डीगढ़।

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी।

यादी क्रमांक 472–स.क.(4)–2020
दिनांक चण्डीगढ़ : 24.06.2020

विषय:– वृद्धावस्था भत्ता सम्मान योजना, विधवा/निराश्रित महिला पैंशन योजना एवं निःशक्त पैंशन योजना की क्रियान्वयन प्रकिया में बदलाव बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको लिखा जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी निवासियों का परिवार पहचान पत्र बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी व त्वरित तरीके से योग्य व्यक्तियों को दिया जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा कार्यन्वित की जा रही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा/निराश्रित महिला पैंशन योजना एवं निःशक्त पैंशन योजना के बहुत से लाभार्थीयों का अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बना है। सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी बचे हुए लाभार्थीयों का परिवार पहचान पत्र तुरन्त बनवाया जाए। सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र (पी0पी0पी0) तथा वृद्धावस्था भत्ता सम्मान योजना, विधवा/निराश्रित महिला पैंशन योजना एवं निःशक्त पैंशन योजना के इन्टीग्रेशन किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। विभाग के द्वारा पैंशन स्वीकृत करते समय परिवार पहचान पत्र डाटाबेस में उपलब्ध सूचना ली जाएगी। पैंशन स्वीकृत करने की प्रकिया को ऑनलाईन/ऑटोमेट किया जाएगा। उपरोक्त के लिए निर्धारित प्रकिया में बदलाव आवश्यक है। मामले में विचार उपरान्त निम्न निर्देश दिए जाते हैं:–

1. पी.पी.पी. डाटाबेस के साथ वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा/निराश्रित महिला पैंशन योजना एवं निःशक्त पैंशन योजना डाटाबेस का इन्टिग्रेशन किया जाएगा। जिन लाभार्थीयों का डाटा पी.पी.पी. डाटाबेस में उपलब्ध है उनका पैंशन पोर्टल में परिवार आई.डी. दर्ज किया जाएगा। बाकी बचे हुए लाभार्थीयों का पी.पी.पी. डाटाबेस अपडेट करने के लिए व परिवार आई.डी. बनवाने हेतु ऐसे लाभार्थीयों को सी0एस0सी0 में जाकर आवश्यक सूचना देनी होगी। अतः ऐसे सभी लाभार्थी जिनका परिवार पहचान पत्र अभी तक नहीं बना है उन सब को नजदीकी सी0एस0सी0 में जाकर अपना परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रेरित करें।

2. सभी पैंशन योजनाओं में लाभ के लिए हरियाणा राज्य का 15 वर्षों से स्थाई निवासी होने की शर्त को घटाकर 5 वर्ष किया गया है। पी.पी.पी. सैल के द्वारा सभी नागरिकों का हरियाणा निवासी होने बारे ब्यौरा पी.पी.पी. में दर्ज किया जाएगा जिसके आधार पर ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा/निराश्रित महिला पैंशन योजना एवं निःशक्त पैंशन योजना के अर्न्तगत आवेदक की पात्रता निर्धारित की जाएगी। रिहायश के सबूत के लिए आवेदनकर्ता मतदाता पहचान पत्र/मतदाता सूची/राशनकार्ड में से कोई एक स्वयं सत्यापित दस्तावेज देगा। ऐसे आवेदक जिनके पास उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है वह सैल्फ डिक्लेरेशन देंगे जिसकी वेरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा अन्य दस्तावेजो के आधार पर की जाएगी।

3. परिवार के सभी सदस्यों की जन्म तिथि का डाटा पी.पी.पी. डाटाबेस में दर्ज किया जाएगा जिसके आधार पर ही भविष्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा/निराश्रित महिला पैंशन योजना एवं

आवेदक जन्म तिथि प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/मतदाता सूची में से कोई एक स्वयं सत्यापित दस्तावेज देगा। ऐसे आवेदक जिनके पास उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही है वह पूर्व की प्रकिया अनुसार मैडिकल सर्टिफिकेट देंगे।

4. भविष्य में नए आवेदकों का परिवार आई.डी. पैंशन स्वीकृत करते समय बनाया जाएगा। इसके लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा/निराश्रित महिला पैंशन योजना एवं निःशक्त पैंशन योजना हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में संशोधन कर परिवार आई.डी. बनवाने के लिए जरूरी सूचना सम्मलित की गई है ताकि नई पैंशन बनवाने की प्रकिया के साथ ही परिवार आई.डी. भी बनवाई जा सके। संशोधित आवेदन पत्रों का प्रोफार्मा संलग्न है।

5. सी.एस.सी. पर दिया गया आवेदन पत्र ऑनलाईन जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध होगा जो पी.पी.पी. के माध्यम से रिहायश व आयु बारे ऑनलाईन वेरिफिकेशन करेगा तथा स्वीकृत करने के उपरान्त पैंशन पोर्टल में प्रार्थी का नाम दर्ज करेगा। उक्त डाटा की वेरिफिकेशन के लिए पी.पी.पी. के द्वारा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, निर्वाचन विभाग व खाद्यय एवं आपूर्ति विभाग के डाटाबेस के साथ ए. पी.आई. बेस्ड इन्टीग्रेशन किया जा रहा है। जब तक पी.पी.पी. का उक्त दूसरे विभागों के डाटाबेस से लिंक नहीं होता तब तक आवेदक के द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज ऑनलाईन जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजे जाएंगे।

अतः मामले में उक्त अनुसार कार्रवाई की जाए।

संलग्न: 1. आवेदन पत्रों के प्रोफार्मा
2. SOPs.

Raghubir Singh

अधीक्षक (स०क०),
कृते, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

पृ० कमांक यादी कमांक : 472–स.क.(4)–2020

दिनांक चण्डीगढ : 24.06.2020

उपरोक्त की एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित है।

-Sd/-
अधीक्षक (स०क०),
कृते, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

Regd. No. CHD/0093/2012–20

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 22, 2012 (CHAITRA 2, 1934 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 22nd March, 2012

No. 308-SW(4)-2012.—In partial modification of the Social Justice and Empowerment Department, Notificatio No. 458A-SW(4)-2011, dated 10th June, 2011, the Governor of Haryana is pleased to increase the income limit fro ₹50,000/- per annum to ₹2,00,000/- per annum in Point No. (iii) of Para 3, "Eligibility Criteria".

This issues with the concurrence of the Finance Department, Haryana conveyed *vide* their U.O. No. 1/9/201 3FG-II/308, dated 21.03.2012.

Chandigarh

Dated: 22nd March, 2012

MANIK SONAWANE,

Financial Commissioner & Principal Secretary to Government

Haryana, Social Justice & Empowerment Department.

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

सेवा में

सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी,
हरियाणा राज्य में।

यादि कमांक : 1262–एस.डब्ल्यू.(4)–2018,
दिनांक : 24.08.2018

विषयः **वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना एवं लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत आयु के दस्तावेज लेने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सम्बन्ध में स्थाई निवासी बारे दस्तावेज लेने एवं नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रकिया का पालन करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र कमांक 615–स.क.(4)–2016, दिनांक 16.06.2016 एवं 879–स.क.(4)–2017, दिनांक 06.09.2017 के द्वारा दिये गये आदेशों के स्थान पर निम्न दस्तावेजों का विवरण :

1. बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना के तहत आयु के सम्बन्ध में लिए जाने वाले दस्तावेज एवं मैडिकल बोर्ड बारे ।

क) स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र/दिनांक 16.06.2016 से पूर्व जारी किया गया ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/वर्ष 2005 या इससे पूर्व जारी किया गया स्वयं का फोटोयुक्त पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/फोटोयुक्त मतदाता सूचि में से आवेदक अपनी आयु के आंकलन हेतू कोई एक दस्तावेज उपलब्ध करवा सकता है। यदि आवेदक के पास उक्त दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है या फिर आवेदक की आयु में संदेह है तो संतान की 40 वर्ष की आयु का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य है। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र अथवा स्कूल द्वारा साधारण कागज़ पर दर्ज की गई जन्मतिथि को मान्य नहीं माना जाये।

यदि प्रार्थी द्वारा आयु के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज़ में दर्शाई गई आयु या दस्तावेज़ के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी को किसी स्तर पर भी संदेह होता है तो वह प्रार्थी से उसकी आयु के सम्बन्ध में निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज़ भी मांग सकता है।

यदि आवेदक द्वारा आयु के दस्तावेज के सम्बन्ध में मतदाता पहचान पत्र/फोटोयुक्त मतदाता सूचि दी जाती हैं तो उसका मिलान ऑनलाईन डाटा से भी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा और जिस भी दस्तावेज में कम आयु होगी, वह मान्य होगी।

अविवाहित/सन्तानहीन आवेदक, यदि उसके पास अपनी जन्मतिथि से सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति मे सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रार्थी की आयु के आंकलन हेतू मामला जिला के सिविल अस्पताल में

इसके अतिरिक्त वृद्धापा सम्मान भत्ता योजना के अन्य नये आवेदकों के सम्बन्ध में भी जिला स्तर पर सिविल अस्पताल में दो चिकित्सा अधिकारियों का एक मैडिकल बोर्ड का गठन नये आवेदकों की आयु के आंकलन हेतु किया जाये। यह मैडिकल बोर्ड मास में एक बार इस कार्य हेतु बैठेगा। मैडिकल बोर्ड से निम्न दो मामलों मे स्पष्ट रिपोर्ट उपायुक्त के माध्यम से प्राप्त की जाये।

i. जब प्रार्थी द्वारा कारण सहित प्रार्थना पत्र के द्वारा यह दावा किया जाता है कि सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में उसकी आयु गलत दर्ज की हुई है।

ii. जब जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रार्थी की आयु, निर्धारित दस्तावेज मे अधिक दर्ज की हुई प्रतीत होती हैं या फिर कम दर्ज की हुई प्रतीत होती है।

मैडिकल बोर्ड द्वारा आयु के आंकलन की स्पष्ट रिपोर्ट विभाग द्वारा जारी प्रोफार्मा में उपायुक्त को भिजवाई जायेगी।

2 लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत लिए जाने वाले आयु के दस्तावेजों का विवरण:--

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के सम्बन्ध में आयु के दस्तावेज के तौर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र/ स्कूल प्रमाण पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/ पासपोर्ट/फोटोयुक्त पैन कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/फोटोयुक्त मतदाता सूचि में से आवेदक अपनी आयु के आंकलन हेतू कोई एक दस्तावेज उपलब्ध करवा सकता है। उक्त आयु के दस्तावेज हिदायतें जारी करने से पूर्व की अवधि के होने अनिवार्य है। विद्यालय छोडने का प्रमाण पत्र अथवा स्कूल द्वारा साधारण कागज पर दर्ज की गई जन्मतिथि को मान्य नहीं माना जायेगा।

सरकार के पत्र क्रमांक 75–स.क.(4)–2012, दिनांक 25.01.2012 एवं पत्र क्रमांक 22210–234 दिनांक 16.06.2016 द्वारा दिये गये आदेशों के स्थान पर निम्न दस्तावेज लेना सुनिश्चित करें।

3 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए स्थाई निवासी होने के सम्बन्ध में लिए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :–

सभी जिलों में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशन/भत्ता बनवाने के लिए आवेदक का 15 वर्ष से अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य का निवासी होने का दस्तावेज जैसाकि राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूचि, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, बिजली/पानी के बिल, मकान अथवा जमीन के कागजात/एल0आई0सी0 पोलिसी/मकान किराये के सम्बन्ध में पंजीकृत डीड या स्थाई निवासी प्रमाण पत्र इत्यादि में से आवेदक से उसके domicile साबित करने के लिए कोई भी एक दस्तावेज लिया जाना है।

विधवा एवं एफ0ए0डी0सी0 योजना के अन्तर्गत विधवा महिला, जोकि अपने विवाह से पहले किसी अन्य राज्य/शहर से हो सकती है तो उस केस में सम्बन्धित महिला से

उसके पति के हरियाणा राज्य में 15 वर्ष से अधिक की अवधि के निवासी/domicile होने बारे उपरोक्त दस्तावेज़ में से कोई एक दस्तावेज़ लिया जाना उचित होगा ।)

नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रकिया का पालन करने बारेः—

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सम्बन्ध में दिक्कत आती है कि विवाह से पूर्व महिला का नाम कुछ और होता है और विवाह उपरान्त उसके ससुराल वालों द्वारा नाम बदलवा कर उसके सभी दस्तावेज़ बनवा लिये जाते हैं अथवा किसी पुरूष/महिला का जन्मतिथि प्रमाण पत्र में नाम कुछ और होता है और बाद में नाम में परिवर्तन कर लिया जाता है और किसी अन्य नाम से शेष दस्तावेज़ तैयार करवा लिये जाते हैं व वोटर कार्ड में पतें में संशोधन करवा लिया जाता है कि ऐसी स्थिति में निम्न प्रकिया का पालन करना सुनिश्चित करें।

I. प्रार्थी को शपथ पत्र, जिला कोर्ट के मैजिस्टेट या नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाया जायेगा तथा शपथ पत्र में वर्तमान नाम तथा जो नया नाम हैं उसका विवरण, नाम बदलवाने के कारणो सहित दिया जायेगा। शपथ पत्र, नान ज्यूडीशियल स्टैम्प पेपर पर जोकि कम से कम वैल्यू का होगा, उस पर दिया जायेगा। उसके उपरान्त नाम बदलवाने बारे दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना होगा। जिनमें एक समाचार पत्र स्थानीय भाषा में तथा दूसरा अग्रेजी का होगा।

प्रार्थी को अपना नाम राज्य के Official गजट में छपवाना होगा जिसके लिए सरकारी प्रिटिंग प्रैस से सर्म्पक करते हुए, आवदेन फार्म भरके निश्चित फीस जमा करवानी होगी, उसके उपरान्त प्रार्थी का नाम बदलवाने बारे अधिसूचना में नाम राज्य की Official गजट में छपने उपरान्त प्रार्थी को प्रीटिंग प्रैस द्वारा उसके द्वारा दिये गये पते पर कापी भिजवाई जायेगी।

II. समाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत यदि किसी प्रार्थी द्वारा पते में संशोधन, वोटरकार्ड में करवाया जाता है, तो उस स्थिति में वोटरकार्ड कम से कम तीन वर्ष पूर्व का बना होना चाहिए जब प्रार्थी द्वारा पेंशन के लिए आवेदन किया जाता है।

Raghubir Singh

अधीक्षक (स.क.),
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

पृ. कमांक : 1262—एस.डब्ल्यू.(4)—2018 दिनांक : 24.08.2018

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैः